भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *242
06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिचालन दक्षता

***242. श्री नवीन जिंदल:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के समय पर वितरण और उनकी चोरी रोकने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचने के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता के बारे में सरकार का आकलन और इसके लाभ की पहुंच एवं प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आपूर्ति शृंखला, भंडारण और वितरण नेटवर्क के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिचालन संबंधी दक्षता से जुड़े प्रमुख मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों पर वर्तमान राजसहायता दर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को मूल्य अस्थिरता और शोषण से बचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता और मूल्य नियंत्रण उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहयोग मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, कृषि श्रमिकों और छोटे व्यवसायों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ज) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ज): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 06.08.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *242 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

(क): प्रौद्योगिकी संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, टीपीडीएस में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटाइज (100%) कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिए गए हैं। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू कर दिया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण स्थापित करके स्वचालित किया गया है।

इसके अलावा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और समुचित कार्यप्रणाली तथा ऐसी प्रणाली में कार्यरत पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार समय-समय पर संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बनाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निर्दिष्ट अनुसार राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियाँ गठित करती है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्नों का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने और सब्सिडी वाले खाद्यान्नों को खुले बाज़ार में जाने से रोकने के लिए एक सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायतों के संपर्क और निवारण तथा इच्छित लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रृंखला संख्या कार्यरत है। जब भी इस विभाग को किसी भी स्रोत से एनएफएसए खाद्यान्नों की चोरी सहित कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है।

(ख): इस विभाग ने चरण-I (2018-20) और चरण-II (2020-23) के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठित निगरानी संस्थानों (एमआई) को नियुक्त किया। एमआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट https://nfsa.gov.in/portal/ समवर्ती मूल्यांकन पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

...2/-

(ग): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए आपूर्ति श्रृंखला और संभार में इच्छित लाभार्थियों को खाद्यान्न का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए कई चरण और प्रक्रियाएं शामिल हैं। पीडीएस में अभिप्राप्ति और वितरण प्रक्रिया में किसानों, सरकारी एजेंसियों, भंडारण सुविधाओं, ट्रांसपोर्टरों और उचित दर दुकानों के बीच समन्वित प्रयास शामिल है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सॉफ्टवेयर/एप्लिकेशन को अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकसित और कार्यान्वित किया गया है ताकि दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए संपूर्ण आपूर्ति संचालन इलेक्ट्रॉनिकी रूप से किया जा सके। स्मार्ट पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधारों की योजना) के तहत एक एकीकृत एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड डाटाबेस के प्रबंधन के साथ-साथ खरीद, आपूर्ति श्रृंखला और आबंटन से लेकर खाद्यान्न वितरण तक पीडीएस संचालन के सभी पहलुओं को एकीकृत करता है।

(घ): खाद्यान्नों की वर्तमान आर्थिक लागत गेहूं - 2980.06 रुपये प्रति क्विंटल और चावल - 4173.34 रुपये प्रति क्विंटल है। तथापि, भारत सरकार पीएमजीकेएवाई के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।

(ङ): भारत सरकार पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना), अन्य कल्याणकारी योजनाओं, रक्षा, प्राकृतिक आपदा आदि के मामले में अतिरिक्त आबंटन के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं से परे अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)) के तहत खुली बिक्री के माध्यम से बेचती है। इससे बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए खाद्यान्न को अधिक किफायती बनाने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)) नीति के तहत आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत आटा और भारत चावल की शुरुआत की गई।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, (ईसी अधिनियम), 1955 और कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, (पीबीएमएमएसईसी अधिनियम), 1980, सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने, उनकी आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उचित मूल्य पर उनका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विधायी और प्रशासनिक आधार प्रदान करते हैं। आवश्यक जिंसो की जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए, ईसी अधिनियम के तहत स्टॉक सीमाएँ लगाई जाती हैं। स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए जाते हैं, और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती बैठकें आयोजित की जाती हैं।

...3/-

पीबीएमएमएसईसी अधिनियम, 1980, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का पूरक है। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अवैध और अनैतिक व्यापार पद्धतियों, मुनाफाखोरी, जमाखोरी और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी आदि को रोकने के लिए कार्यान्वित किया जाता है, जिसके तहत ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को छह महीने के लिए निवारक हिरासत में रखने का आदेश दिया जाता है।

(च): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो सबसे निर्धनतम हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं, प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम के हकदार हैं। भारत सरकार, गरीब लाभार्थियों (किसानों, कृषि मजदूरों आदि सहित) के वित्तीय बोझ को हटाने और देशव्यापी एकरूपता और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरों (पीएचएच) लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान कर रही है। कई उचित दर दुकानें (एफपीएस) ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जाती हैं। पीडीएस संचालन ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार सृजन भी कर रहा है एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खाद्यान्नों (गेहूँ, चावल, मोटे अनाज) की केंद्रीकृत खरीद ने किसानों को बाज़ार भाव सुनिश्चित किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया। गाँवों के निकट स्थापित ग्रामीण खरीद केंद्र/मंडियाँ, भंडारण गोदाम, साइलो आदि भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले श्री अन्न की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरण भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता है। अब, पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सुविधा उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण मजदूर/प्रवासी कामगार किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।

(ज): "सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार की योजना" (स्मार्ट-पीडीएस) योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले सुधारों को बनाए रखने के लिए शुरू किया गया था ताकि आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तकनीकी जनशक्ति के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस संचालन की राज्य स्तरीय तकनीकी सीमाओं को दूर किया जा सके और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस से संबंधित सभी कार्यों को कवर करने वाली एक एकीकृत केंद्रीय प्रणाली को संस्थागत बनाया जा सके। विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए अगस्त 2024 में मेरा राशन ऐप भी लॉन्च किया है। मोबाइल ने लाभार्थियों को परिवार और राशन विवरण, शिकायत निवारण, मोबाइल राशन कार्ड डाउनलोड और एफपीएस रेटिंग सुविधाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया।

...4/-

विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राशन कार्ड डेटाबेस का व्यापक डेटा विश्लेषण भी किया, जिसमें डुप्लिकेट राशन कार्ड, निष्क्रिय कार्ड, 100 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य, 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों वाले एकल-सदस्यीय परिवार और आधार रिकॉर्ड में 'मृत', 'निलंबित', 'रद्द' या 'अमान्य' के रूप में चिह्नित विसंगतियों का पता चला। ऐसे लाभार्थियों के संबंध में राज्यों को सूचित किया गया और उनसे राशन कार्ड के ऐसे सदस्यों का आगे सत्यापन करने के लिए कहा गया। तदनुसार, चिह्नित कुल 2.94 करोड़ मामलों में से, लगभग 1.24 करोड़ ऐसे चिह्नित मामलों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हटा दिया गया। इससे लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण में सुधार हुआ, जिससे एनएफएसए की अधिकतम सीमा के भीतर पीएमजीकेएवाई के तहत अधिक पात्र व्यक्तियों को शामिल करना संभव हुआ।

पीडीएस दक्षता बढ़ाने के लिए दो डिजिटल पहल - **अन्न सहायता** और **अन्न मित्र** - भी शुरू की गई हैं।

- **अन्न सहायता:** एनएफएसए के अंतर्गत व्हाट्सएप और आईवीआरएस का उपयोग करने वाली एक उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली, जिसमें शिकायत पंजीकरण, त्रि-स्तरीय वृद्धि मैट्रिक्स और रीयल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा है, अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू है।
- **अन्न मित्र**: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए एक मोबाइल ऐप जो ज़िले से लेकर उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) तक परिचालन डाटा, स्टॉक प्रबंधन, लाभार्थी रिकॉर्ड, निरीक्षण उपकरण और अनुपालन रिपोर्टिंग तक सुरक्षित पहुँच प्रदान करता है। यह एफपीएस डीलरों, खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों की ज़रूरतों को पूरा करता है।

इसके प्रमुख लाभों में सुव्यवस्थित संचालन, कम मैन्युअल कागजी कार्रवाई, बेहतर स्टॉक दृश्यता और डाटा-आधारित निर्णय लेना शामिल हैं।

*****